तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-9-21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 10-11-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
10-11-21	पत्रावली केम्प मांडल को पेश हुई। आगामी दिनांक 11-11-21 को पेश हो।	
11-11-21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो ने बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी भूमि के आराजी नं. 3763, 3765 भूमि मे आने-जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 की आराजी नं. 3525, 3532 मे से दक्षिणी पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि विपक्षी सं. 3 के अधिवक्ता ने अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यक्ता नही है, अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार मांडल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया कि प्रार्थीगण की आराजी नं. 3763, 3765 मे आवागमन हेतु कोई रेकार्डेड रास्ता विधमान नहीं [illegible] वर्तमान मे कोई वैकल्पिक रा[illegible]। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है। अत:- :: आदेश :: उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:39:09 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल जिला -भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नं. 3763, 3765 की भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण 01 लगायत 03 की आराजी नं. 3525 3532 मे से 12 फीट चौड़ाई का रास्ता दक्षिणी पश्चिमी मेंड पर फडकुली के सहारे -सहारे दिये जाने का आदेश दिया जाता है। 12 फीट चौड़ाई के रास्ते मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण 01 लगायत 03 को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार माण्डल को निर्णय की पालना हेतु लिखवा जावे। तहसीलदार माण्डल निर्णय की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

...अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:39:09 IST
Reason: SelfAttested